न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2021/284

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

——अपीलार्थी

बनाम

1. नीलमसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
2. सवाईसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
3. तेजपालसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
4. मामनसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
5. बलबीरसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
6. मनोजसिंह पुत्र स्व. फूलसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
7. कमलाबाई पुत्री स्व. फूलसिह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
8. कृपा बाई पुत्री स्व. फूलसिंह पुत्र स्व. नारायणसिंह,
9. नरसाबाई पुत्री स्व. फूलसिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह,
10. ओमबाई पुत्री स्व. फूलसिह पुत्र स्व. नारायण सिंह,
11. रेणूकंवर पुत्री स्व. फूलसिंह पुत्र स्व. नारायण सिंह समस्त जातियान राजपूत निवासी ग्राम कुजाता तहसील कोटपूतली जिला जयपुर, राजस्थान।

——रेस्पाडेन्टान

उपस्थितिः—

1. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिक्ता अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री हेमन्त दीक्षित एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3, 11 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 23.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 एवं 11 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी की अपील न्यायालय श्रीमान् की समक्ष संधारणीय ही नही है जिसके लिये रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति भी पेश किया गया था परन्तु न्यायालय श्रीमान् द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना ही अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिनांक 15.11.2021 पारित किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष एक नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 5777/2021 उनवानी नीलमसिंह बनाम रजास्थान सरकार प्रस्तुत किया गया था जिस नजरसानी के निर्णय दिनांक 17.05.2022 द्वारा निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय श्रीमान् का आदेश दिनांक 15.11.2021 खारिज किया है साथ ही न्यायालस श्रीमान् को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वे सर्वप्रथम अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करें तत्पश्चात् उनके यहॉ विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दो आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है जो अपील दो आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील होने से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय ही नही है इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा पुर्नरावलोकन प्रार्थना पत्र जो दिनांक 04.01.2021 को अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था इस कारण आपत्ति अब पुनः नये सिरे से अपने निर्णय के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 02.12.2020 को चुनौती नही दे सकते है इस कारण अपीलान्ट की उक्त अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली दिनांक 02.12.2020 पोषणीय नही होने से खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपील के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के निर्णय दिनांक 04.01.20212 बाद में रिव्यू प्रार्थना पत्र खरिज किये जाने के आदेश को चुनौती देते हुऐ निरस्त करने की इस्तदुआ चाहा है इसके बारे में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति पेश कर निवेदन है कि सी.पी.सी. के आदेश–47 नियम (1) व (5) में रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के निर्णय के विरूद्ध अपील नही की जा सकती है, केवल निगरानी ही माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पोषणीय है तथा रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है किन्तु रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नही है तथा इसी बिन्दु पर अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपरोक्त आपत्तियों प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त

राजकीय आयुक्त
जयपुर

प्रारम्भिक आपत्तियों विधिसम्मत एवं कानूनी होने से स्वीकार की जावें तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पोषणीय नही होने से बिना गुणावगुण पर गये ही इस स्तर पर खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 64 सम्वत् 2020 ग्राम कूजाता तहसील कोटपूतली तस्दीक द्वारा नायब तहसीलदार कोटपूतली को लगभग 56 वर्ष पश्चात् बिना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये व बिना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 64 ग्राम कूजोता धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के तहत झाबर वल्द सुगना धानका को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 ने बिना झाबर वल्द सुगना व उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये विधि विरूद्ध रूप से प्रथम अपील प्रस्तुत की और अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आवश्यक पक्षकारान को बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपील स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 632/2.21 वाके मौजा कूजोता तहसील कोटपूतली सिवायचक राजकीय भूमि है तथा 56 वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण की अपील के जरिये खातेदारी अधिकारों का विनिश्चय नही किया जा सकता अपितू नियमित वाद के जरिये ही किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों का निस्तारयण किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 यदि वादग्रस्त आराजी में किस प्रकार के कोई हित रखते थे तो इसके लिये उन्हे नियमित वाद के द्वारा ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता था परन्तु प्रथम अपील न्यायलाय ने कानून के इन मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये अपील स्वीकार करने में भारी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया ना ही जवाब देही एवं दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया अपितू दिनांक 21.12.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को महज 39 दिवस में स्वीकार कर उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधि विरूद्ध होने से निस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 के बर्जुगान नारायण सिंह वल्द भूरसिंह कभी भी उक्त भूमि के काश्तकार नही रहे अपितू वो उक्त भूमि के विस्वदार थें एवं विस्वेदार का महज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खुदकाश्त की भूमि में ही धारा 13 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते थे परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होते समय यानी सम्वत् 2012 में झाबर वल्द सुगना धानका उक्त भूमि पर बतौर काश्तकार काबिज थे इसलिये विस्वेदार नारायण सिंह वल्द फूलसिंह के समस्त विस्वेदारी अधिकार जागरीदारी विस्वेदार उन्मूलन अधिनियम के तहत समाप्त हो गये एवं बतौर काश्तकार मौके पर काबिज व्यक्ति को धारा 19 रास्थान काश्तकार अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये बिना सक्षम न्यायलय में बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 को किसी प्रकार के अधिकार उक्त भूमि में हांसिल नही होते है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट प्रार्थना पत्र प्ररम्भिक आपत्ति खारिज फरमाया जावें एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर के अपील संख्या 63/2020 के निर्णय दिनांक 02.12.2020 एवं उक्त निर्णय के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुर्नविलोकन के निर्णय दिनांक 04.01.2021 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि कानूनन दो आदेशों के विरूद्ध एक अपील संधारणीय नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की हस्तगत अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी को दोनों आदेशों के विरूद्ध नये सिरे से अपील/रिविजन इत्यादि प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ अपीलार्थी की हस्तगत अपील खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी द्वारा नये सिरे से अपील/रिविजन इत्यादि प्रस्तुत करने तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जाने के आदेश भी दिये जाते है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
23/1/23